570 करोड़ के कोल लेवी घोटाले के आरोपितों पर नए सिरे से कसेगा शिकंजा

जांच में कड़े तेवर में होगी सीबीआइ

सतीश पांडेय ● नईदुनिया

रायपुर: विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए 570 करोड़ के कोल लेवी घोटाले की सीबीआइ जांच की बात सार्वजनिक होने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। घोटाले के साजिशकर्ताओं में शामिल सूर्यकांत तिवारी तो अभी जेल में हैं परंतु जमानत पर छूटे निलंबित आइएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया सहित छह आरोपितों पर अब सीबीआइ कड़े तेवर अपनाएगी। सीबीआइ में नया केस दर्ज होने के साथ ही इन सभी पर गिरफ्तारी के बादल नए सिरे से मंडराने लगेंगे। प्रदेश की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू को दबाव में बताते हुए उसकी विश्वसनीयता और कार्यशैली पर ईडी द्वारा हाईकोर्ट में पहले ही प्रश्न खड़े किए जा चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक कोल लेवी घोटाले की जांच की अनुमति सीबीआइ को देने की कानूनी प्रक्रिया राज्य सरकार ने फरवरी में ही शुरू कर दी थी। इसके पीछे यह वजह माना जा रहा है कि प्रकरण की जांच कर रहा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) कोई खास जानकारी नहीं लगा पाया। वहीं जेल में बंद तीन मुख्य आरोपित

रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर बिश्वनोई। ● फाइल फोटो

सूर्यकांत तिवारी। ● फाइल फोटो

अफसरों के साथ छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत का लाभ भी मिल गया। ईडी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया था कि राज्य की एजेंसियां दबाव में प्रतीत हो रही हैं। इस आधार पर निष्पक्ष जांच पर भी सवाल खड़े किए गए थे। ईडी का दावा रहा है कि कोल परिवहन, परमिट के आनलाइन से आफलाइन में बदलने जैसे तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। अब तक इस मामले में 36 आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज है, जबकि बीस से अधिक आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं।

राज्य में वर्ष 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की सरकार कांग्रेस कार्यकाल में हुए शराब, महादेव सट्टा एप, सीजीपीएससी, कोयला, दवा खरीदी घोटाले की जांच ईडी के साथ ही ईओडब्ल्यू से भी करा रही है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में सीबीआइ जांच पर रोक लगा रखी थी परंतु भाजपा के सत्ता में आते ही परिस्थियां बदलीं। इसके बाद महादेव सट्टा एप, सीजीपीएससी और नान घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंपी जा चुकी है। अब तो कांग्रेस भी प्रदेश के भ्रष्टाचार के कई मामलों में सीबीआइ जांच की मांग कर रही है।

ईडी ने की थी हाईकोर्ट से सीबीआइ जांच की मांग : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोल लेवी घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग की थी। ईडी ने याचिका में आरोप लगाया था कि पीएमएलए (प्रिवेंशन आफ मनी लाड्रिंग एक्ट) की धारा 66 के तहत राज्य सरकार को घोटाले से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे, मगर कार्रवाई नहीं हुई। ईडी का आरोप है कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में अधिकांश अधिकारी राज्य सरकार के अधीन हैं, जिससे घोटाले के निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े होते हैं। इस घोटाले में तीन वरिष्ठ अधिकारियों को मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। इनमें निलंबित आइएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप-सचिव रही सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये जमानत मिलने पर छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे और अपनी उपस्थिति अन्य राज्यों के पुलिस थाने में नियमित रूप से दर्ज कराएंगे।